दिनांक 03.04.2023 को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आहूत "वृक्ष सुरक्षा योजना" की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1.	डॉ० गोपाल सिह, भा०व०से०,		क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना	अध्यक्ष
2.	डॉ० गोपाल सिह, भा०व०से०,		वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	सदस्य
3.	श्री एस० सुधाकर, भा०व०से०		वन संरक्षक, गया अंचल, गया	सदस्य
4.	श्री अम्बरीष कुमार मल्ल, भा०व०से०		वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना	सदस्य सचिव
5.	श्री राज कुमार एम०, भा०व०से०		वन प्रमंडल पदाधिकारी भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	सदस्य सचिव
6.	श्री संजीव रंजन, भा०व०से०		वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा	सदस्य सचिव
7.	श्री राजीव रंजन, भा०व०से०		वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया	सदस्य सचिव
8.	श्री शशिकांत कुमार, भा०,व०से०,		वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना	आमंत्रित सदस्य

कार्यवाही :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.10.2019 द्वारा गठित समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। उक्त बैठक में वन प्रमंडल पटना/भोजपुर/गया/नवादा वन प्रमंडलो के तहत वनभूमि/सरकारी गैर वनभूमि पर अवस्थित वैसे वृक्षों, जिनका पुनर्स्थापन/पातन अनिवार्य/अपरिहार्य हो गया है, उनके पुनर्स्थापन/पातन पर विचार हेतु उक्त प्रमंडलों के अधीन निम्न परियोजनाओं के लिए वृक्ष सुरक्षा योजना (Tree Protection plan) प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयेः–

गया वन प्रमंडल

1. **Gaya Airport, Gaya के विस्तार में सड़क निर्माण में बाधक बन रहे 03 पेड़ को विधिवत स्थानांतरण/पातन के संबंध में।**

गया जिलान्तर्गत Gaya Airport, Gaya के विस्तार में सड़क निर्माण में बाधक बने कुल 03 पेड़ को विधिवत स्थानांतरण/पातन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया का पत्रांक 1280 दिनांक 13.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	गया वन प्रमंडल, गया	Gaya Airport, Gaya	Gaya Airport, Gaya के विस्तार में सड़के निर्माण में बाधा बन रहे 03 पेड़ को विधिवत स्थानांतरण/पातन	03	0	0	03	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा सूचित किया गया है कि 100 से०मी० से उपर गालाई वाले वृक्षों का पातन आवश्यक है।

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 03 वृक्षों को पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेंन्सी के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पातन, लौगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

2. **गया रेलवे स्टेशन के Upgradation में बाधक वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन के संबंध में।**

गया जिलान्तर्गत गया रेलवे स्टेशन के Upgradation में बाधक वृक्षों के पातन/ पुनर्स्थापन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया का पत्रांक 1073 दिनांक 24.02.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	गया वन प्रमंडल, गया	Chief Engineer/Con/HZME-11 East Central Railway, Hazaribag.	गया रेलवे स्टेशन के Upgradation में बाधक वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन हेतु प्रस्ताव।	**17**	**04**	**05**	**08**	

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 17 वृक्षों में से 04 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 05 वृक्षों को यथा स्थिति रखते हुए 08 वृक्षों के पातन के कार्य परियोक्ता एजेंसी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. पातन, लौगिंग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

3. **अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया में 32 बेड का अस्पताल के निर्माण में स्थित पेड़ को पातन की अनुमति का प्रस्ताव।**

गया जिलान्तर्गत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया में 32 बेड का अस्पताल के निर्माण में स्थित पेड़ को पातन की अनुमति हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया का पत्रांक 1272 दिनांक 13.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:-

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	गया वन प्रमंडल, गया	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया।	32 बेड का अस्पताल के निर्माण में स्थित पेड़ को पातन की अनुमति का प्रस्ताव।	**02**	**0**	**0**	**02**	

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर अस्पताल निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 02 वृक्षों को पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेंन्सी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पातन, लौंगिग (काष्ठ एवं जलावन) कर वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

नवादा वन प्रमंडल

4. नवादा जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–103, फेज–II मंझवे–गोविन्दपुर (0.000 से 21.880 कि०मी०) के उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु पथ–तट अवस्थित एवं प्रमाणित वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्ताव।

नवादा जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–103, फेज–II मंझवे–गोविन्दपुर (0.000 से 21.880 कि०मी०) के उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु पथ–तट अवस्थित एवं प्रमाणित वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत उनके पत्रांक 545 दिनांक 27.02.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रथम फेज–I (21.880 से 42.069 कि०मी०) पथांश प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पअना की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2023 की आहूत बैइक में अनुमति प्रदान कर दी गयी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बैठक में बताये गये तथ्यों के अनुसार यथा स्थिति पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	नवादा वन प्रमंडल, नवादा	उप महाप्रबंधक (तक०), परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, नवादा B.S.R.D.C.L, P.I.U	फेज–II (0.000 से 21.880 कि०मी०) राज्य उच्च पथ संख्या–103 (मंझवे–गोविन्दपुर) के उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु पथ–तट अवस्थित एवं प्रमाणित वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्ताव	989	243	0	746	

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोंपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 989 वृक्षों में से 243 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 746 वृक्षों के पातन के कार्य परियोक्ता एजेंसी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा
5. पातन, लौंगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

पटना वन प्रमंडल

5. विश्वेश्वरैया भवन, पटना के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास योजना अन्तर्गत प्रस्तावित बेसमेन्ट के निर्माण कार्य हेतु चयनित स्थल पर अवस्थित वृक्षों के पुर्नस्थापन किये जाने हेतु प्रस्ताव।

पटना जिलान्तर्गत विश्वेश्वरैया भवन, पटना के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास योजना अन्तर्गत प्रस्तावित बेसमेन्ट के निर्माण कार्य हेतु चयनित स्थल पर अवस्थित वृक्षों के पुर्नस्थापन किये जाने हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके पत्रांक 409 दिनांक 25.02.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	वृक्षों की कुल संख्या।	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	कार्यपालक अभियंता संरचना प्रमंडल संख्या–3, भवन निर्माण विभाग, पटना	विश्वेश्वरैया भवन, पटना के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास योजना अन्तर्गत प्रस्तावित बेसमेन्ट के निर्माण कार्य हेतु चयनित स्थल पर अवस्थित वृक्षों के पुनर्स्थापन किये जाने हेतु प्रस्ताव।	**10**	**10**	**0**	**0**	

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर विश्वेश्वरैया भवन, के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास योजना अंतर्गत प्रस्तावित बेसमेन्ट के निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 10 वृक्षों के पुनर्स्थापन के कार्य प्रयोक्ता एजेंसी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6. Construction of Danapur-Mithapur-khemnichak of (Corridor-1) and Patna Junction Metro Station-New ISBT Metro Station (Corridor-2) of Patna Metro Rail Project, Patna अवस्थित वृक्षों को पातन किये जाने हेतु प्रस्ताव।

पटना जिलान्तर्गत Construction of Danapur-Mithapur-khemni Chak of (Corridor-1) and Patna Junction Metro Station-New ISBT Metro Station (Corridor-2) of Patna Metro Rail Project, Patna अवस्थित वृक्षों को पुनर्स्थापन/पातन किये जाने हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत उनके पत्रांक 394 दिनांक 24.02.2023 द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	परियोजना निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमि०, पटना।	Construction of Danapur-Mithapur-khemni Chak of (Corridor-1) and Patna Junction Metro Station-New ISBT Metro Station (Corridor-2) of Patna Metro Rail Project अवस्थित वृक्षों को पुनर्स्थापन किये जाने हेतु प्रस्ताव।	**52**	**46**	**04**	**02**	04 वृक्षों की आवश्यकता अनुसार छटाई

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 52 वृक्षों में से 46 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 04 वृक्षों की आवश्यकतानुसार छटाई करके यथा स्थिति रखते हुए 02 वृक्षों के पातन के कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. पातन, लौंगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

7. Construction of Danapur-Mithapur-khemnichak of (Corridor-1) and Patna Junction Metro Station-New ISBT Metro Station (Corridor-2) of Patna Metro Rail Project, Patna अवस्थित वृक्षों का पुनर्स्थापन हेतु संयुक्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन का प्रस्ताव।

पटना जिलान्तर्गत Construction of Danapur-Mithapur-khemni Chak of (Corridor-1) and Patna Junction Metro Station-New ISBT Metro Station (Corridor-2) of Patna Metro Rail Project, Patna अवस्थित वृक्षों को पातन किये जाने हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरांत उनके ज्ञापांक 601 दिनांक 17.03.2023 द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:—

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	परियोजना निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमि०, पटना।	Construction of Danapur-Mithapur-khemni Chak of (Corridor-1) and Patna Junction Metro Station-New ISBT Metro Station (Corridor-2) of Patna Metro Rail Project अवस्थित वृक्षों को पातन किये जाने हेतु प्रस्ताव ।	**27**	**27**	**0**	**0**	

समिति के अनुशंसा—

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि—

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 27 वृक्षों को पुनर्स्थापन के कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या—178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

8. पटना हवाई अड्डे की दक्षिणी दिशा की चहारदिवारी के बाहर पेड़ों की छँटाई से संबंधित प्रस्ताव हेतु संयुक्त स्थलीय जॉच प्रतिवेदन का प्रस्ताव।

पटना जिलान्तर्गत पटना हवाई अड्डे की दक्षिणी दिशा की चहारदिवारी के बाहर पेंडों की छँटाई से संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके ज्ञापांक 611 दिनांक 20.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:—

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना	पटना हवाई अड्डे की दक्षिणी दिशा की चहारदिवारी के बाहर पेंडों की छँटाई से संबंधित प्रस्ताव हेतु संयुक्त स्थलीय जॉच प्रतिवेदन का प्रस्ताव।	**105**	**0**	**105**	**0**	105 वृक्षों की छँटाई का कार्य

समिति के अनुशंसा–
विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर विमान संचालन के सुरक्षा के दृष्टिकोण से 105 वृक्षों को आवश्यकतानुसार यथा स्थिति रखते हुए छँटाई का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. छँटाई, लौगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

9. दीघा–कंकड़बाग सीवरेज परियोजना अंतर्गत निर्माण स्थल पर अवस्थित वृक्षों का पुनर्स्थापन किये जाने हेतु प्रस्ताव।

पटना जिलान्तर्गत दीघा–कंकड़बाग सीवरेज परियोजना अंतर्गत निर्माण स्थल पर अवस्थित वृक्षों का पुनर्स्थापन किये जाने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके पत्रांक 541 दिनांक 11.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	कार्यपालक अभियंता दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज परियोजना	दीघा–कंकड़बाग सीवरेज परियोजना अंतर्गत निर्माण स्थल पर अवस्थित वृक्षों का पुनर्स्थापन किये जाने हेतु प्रस्ताव।	11	11	0	0	

समिति के अनुशंसा–
विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 11 वृक्षों को पुनर्स्थापन के कार्य प्रयोक्ता एजेंन्सी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

10. Proposed Construction of 24 nos. of Officers Quarters Building and Parking Building at Jeevan Prakash premises, Fraser Road, Patna. में अवस्थित वृक्ष का पुनर्स्थापन/पातन हेतु संयुक्त स्थलीय जांच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

पटना जिलान्तर्गत Proposed Construction of 24 nos. of Officers Quarters Building and Parking Building at Jeevan Prakash premises, Fraser Road, Patna. में अवस्थित वृक्ष का पुनर्स्थापन/पातन किये जाने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके ज्ञापांक 680 दिनांक 01.04.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	पटना वन प्रमंडल, पटना	मुख्य अभियंता भारतीय जीवन बीमा निगम, पटना	Proposed Construction of 24 nos. of Officers Quarters Building and Parking Building at Jeevan Prakash premises, Fraser Road, Patna. में अवस्थित वृक्ष का पुनर्स्थापन / पातन	20	18	0	02	

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर भवन निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 20 वृक्षों में से 18 वृक्षों का पुनर्स्थापन तथा 02 नारियल के वृक्षों का पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेंन्सी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03. 2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. पातन, लौगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

भोजपुर वन प्रमंडल

11. **भारतमाला परियोजना के तहत् पटना एवं भोजपुर पटना जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथांश सदिशोपुर–असनी (0.00–34.800 कि०मी०) (Lot-7/Package II) (रिंग रोड) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.964 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव में बाधक बने वृक्षों को पातन किये जाने के संबंध में।**

भोजपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत् पटना एवं भोजपुर पटना जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथांश सदिशोपुर–असनी (0.00–34.800 कि०मी०) (Lot-7/Package II) (रिंग रोड) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.964 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव में बाधक बने वृक्षों को पातन का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके पत्रांक 799 दिनांक 23.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना।	सदिशोपुर–असनी (0. 00–34.800 कि०मी०) (Lot-7/Package II) (रिंग रोड) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 1.964 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव	234	154	0	80	

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 234 वृक्षों में से 154 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 80 वृक्षों के पातन के कार्य परियोजना एजेंसी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. पातन, लौगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

12. भारतमाला परियोजना के तहत् पटना एवं भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव में बाधक बने वृक्षों को पातन किये जाने के संबंध में।

भोजपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत् पटना एवं भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके पत्रांक 801 दिनांक 23.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना।	आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव 1980 के तहत् 1.964 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव	**4177**	**3500**	**0**	**677**	

समिति के अनुशंसा–
विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 4177 वृक्षों में से 3500 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 677 वृक्षों के पातन के कार्य परियोक्ता एजेंसी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. पातन, लौगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

13. वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय, आरा के परिसर में चिकित्सालय निर्माण हेतु हो रहे वृक्षों के अवैध पातन का प्रस्ताव।

भोजपुर जिलान्तर्गत वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय, आरा के परिसर में चिकित्सालय निर्माण में किये गये क्षतिग्रस्त वृक्षो के स्थलीय जांच हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर के द्वारा निरीक्षणोंपरान्त जांच प्रतिवेदन के आधार पाया गया हैं कि 5711 पौधें (जो कि 3–4 वर्ष पुराने हैं) जिसे प्रयोक्ता एजेंसीं के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुये प्रयोक्ता एजेंसी को कार्य

रोकने के लिए नोटिस दिया गया तथा प्रयोक्ता एजेंसी के विरूद्ध सरकारी सम्पति को क्षति पहुंचाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया हैं। जिसे वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना को इस कार्यालय के पत्रांक 786 दिनांक 20.03.2023 द्वारा सूचित किया गया। इस संदर्भ में प्रयोक्ता एजेंसी ने बताया हैं कि वृक्षों के पातन की कार्यात्तर स्वीकृति हेतु भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा को आवेदन दिया है साथ ही घोषणा पत्र के माध्यम से लगाये जाने वाले दंडात्मक क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए सहमत हैं। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा द्वारा जांचोपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव की विवरणी निम्नलिखित है:—

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वर्तमान वृक्षों की संख्या		
					जिवित पौधें की संख्या	पातन किये गये वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	8	9
1.	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	Nyati Engineering and Construction, PVT. Ltd, Nyati unitree, survey no. 103/129 Plot B+C CTS NO.1995+CTS No. 1996B, Yerwada, Pune nagar road, Pune MH411006 in.	विश्वविद्यालय, आरा के परिसर में चिकित्सालय निर्माण	5883	172	5711	

समिति के अनुशंसा—

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि—

1. विस्तृत समीक्षा के क्रम में समिति ने पाया कि सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प०व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या—178 (ई) प०व०,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन का कार्योत्तर स्वीकृति एवं दण्डात्मक मुआवजे से संबंधित प्रावधान मौजूद नहीं हैं।
2. ऐसे विशेष परिस्थिति में समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त मामले में संस्तुति सहित मार्गदर्शन एवं उचित दिशा—निर्देश हेतु राज्य के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना से मार्ग—निदेश मांगा जाय तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय को अग्रसारित करने का निर्णय लिया जाय।
3. वन संरक्षण अधिनियम एवं नियमावली के तहत मौजूद दण्डात्मक मुआवजे के प्रावधानों के समान समिति के द्वारा सिफारिश किया गया हैं कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की जाने वाली सामान्य क्षतिपूरक राशि के 1.5 से 3 गुना तक मुआवजा लगाने के लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारी को निर्देश दिया जा सकता हैं।

14. औद्योगिक क्षेत्र, नावानगर में Flexible Pre-Cast RCC Drain & Street Light में बाधक वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन के संबंध में।

बक्सर जिलान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, नावानगर में Flexible Pre-Cast Pavement, RCC Drain & Street Light Construction में बाधक वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा का ज्ञापांक 837 दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित सड़क मार्ग का क्षेत्र 442 एकड़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पड़ता हैं, जहाँ काले हिरणों की उपस्थिति संख्या अधिक हैं (काले हिरणों की संख्या—320 तक)। इस संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा ने दिनांक—29.03.2023 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के समक्ष PPT के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के सड़क मार्ग के निर्माण में होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों से अवगत कराया गया। इसी क्रम में यह सूचित किया जाता हैं कि प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ने प्रयोक्ता एजेंसी को सड़क के संरेखण में परिवर्तन करने तथा विस्थापित काले हिरणों के संरक्षण के लिए आवश्यक क्षेत्र चिन्हित करने का निर्देश दिया है।

उपर्युक्त प्रस्ताव का विवरणी निम्नवत् है:—

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	उप महाप्रबंधक बियाडा, पटना कलस्टर–2 औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्र–13 मुख्यालय– प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–80004	औद्योगिक क्षेत्र, नवानगर में Flexible Pre-Cast RCC Drain & Street Light में बाधक वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन	**309**	**25**	**38**	**246**	सूखे हुए वृक्षों की संख्या 34

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. दिनांक–29.03.2023 को हुये बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के आलोक में अधिक से अधिक वृक्षों के संरक्षण के लिए सड़क मार्ग के संरेखण में संशोधन किया जाय।
2. काले हिरणों के संरक्षण हेतु आवश्यक क्षेत्र को चिन्हित कर प्रयोक्ता एजेंसी से आवश्यक भूमि वन विभाग को आवंटन के साथ प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता हैं।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा को निर्देशित किया जाता हैं कि अगली बैठक में संशोधित प्रस्ताव का स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

अन्यान्य

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में गठित "वृक्ष सुरक्षा योजना" (Tree Protection plan) समिति द्वारा पटना परिक्षेत्र के अधिन सभी प्रमंडल के पुनर्स्थापन/पातन का निर्णय लिया गया। क्षेत्र भ्रमण तथा सूचनाओं के आधार पर देखा जा रहा है कि "वृक्ष सुरक्षा योजना" (Tree Protection plan) के तहत पुनर्स्थापित किये गये पौधों की उत्तरजीविता बहुत ही कम रह रही है।

आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित स्थल पर भ्रमण करेंगे तथा प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये वृक्षों की पुनर्स्थापन की उत्तरजीवितता से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को माह के अंत तक अवगत करायेंगे ताकि उत्तरजीविता प्रतिवेदन को उच्चाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया जा सके।

बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा
वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना	वन संरक्षक, गया अंचल, गया	03.04.23 वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	03.04.23 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
कार्यालय—क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना।
राईडिंग रोड (पीर अली मार्ग), अरण्य भवन, द्वितीय तल, पटना—800014
दूरभाष संख्या—0612-2226144; ई—मेलः patnarccf@gmail.com

ज्ञापांकः— 316 पटना, दिनांकः—24/04/2023 ई०।

प्रतिलिपिः— वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना/गया अंचल, गया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमण्डल, पटना/भोजपुर/गया एवं नवादा को दिनांक 03.04.2023 को आहुत ''वृक्ष सुरक्षा योजना'' की बैठक की कार्यवाही के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः— यथोक्त

23/4/23

(डॉ० गोपाल सिंह)